

**कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।**
पत्रांक—२५२७ /FP/UK/ROAD/10125/2015 :देहरादून:दिनांक: ०८ मार्च, 2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र),
25-सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:—जनपद—अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के अन्तर्गत जौरासी से घन्याल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.869 हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन फाईल नं० FP/UK/ROAD/10125/2015)

**संदर्भ:—भारत सरकार की पत्र संख्या—८बी/यू.सी.पी./०६/३०/२०१६/एफ०पी०/१८१७ दिनांक
०६—०२—२०१८**

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर आख्या निम्नप्रकार प्रेषित की जा रही है :—

1. शर्त संख्या—१ के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 9.738 हेतु ग्राम—उप्राड़ी सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख—रखाव हेतु रु० 27,13,640.00 (रु० सत्ताईस लाख तेरह हजार छ: सौ चालीस) तदर्थ कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम—उप्राड़ी पटवारी क्षेत्र—उप्राड़ी, तहसील—स्याल्दे, जनपद—अल्मोड़ा में चिन्हित 9.738 हेतु सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन करा दिया गया है, म्यूटेशन किये गये भूमि के अभिलेख की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक—१)
2. शर्त संख्या—२ के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की देय धनराशि रु० 31,98,933.00 (रु० इकतीस लाख अठानब्बे हजार नौ सौ तैत्तीस) तदर्थ कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है।
3. शर्त संख्या—३ के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की बचनबद्धता का प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक—२)
4. शर्त संख्या—४ के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गई क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन०पी०वी० की धनराशि को प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिये गये डिमाण्ड नोट के आधार पर (Online) ऑनलाईन जमा कर दिया गया है। (संलग्नक—३)
5. शर्त संख्या—५ के अनुपालन में सङ्क निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जहाँ—जहाँ सम्बव हो, सङ्क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख—रेख में strip plantation की जायेगी। इस आशय की बचनबद्धता का प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक—४)

6. शर्त संख्या—6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित क्षतिपूरक वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण—पत्र मूल प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक—5)

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

(ए०के० गुप्ता)
वन संरक्षक

संख्या :— /FP/UK/ROAD/10125/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. जिलाधिकारी, जनपद—अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई. निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, सल्ट, (अल्मोड़ा)।

(ए०के० गुप्ता)
वन संरक्षक